प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/ दिनांक– 19 अक्टूबर,2020

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में निजी भूमि पर तालाब निर्माण की परियोजना Promotion of aquaculture by increasing coverage area through establishment of private Ponds में लाभार्थी चयन की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मत्स्य निदेशालय पत्रांक 4387 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/दिनांक 08.09. 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में Promotion of aquaculture by increasing coverage area through establishment of private Ponds प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 500.00 हे0 के तालाब निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें 450.00हे0 सामान्य तथा 50.00 हे0 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को अच्छादित कराया जाना है। सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला श्रेणी के लाभार्थी को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। परियोजना धनराशि रू0 8.50 लाख/हेक्टेयर (तालाब निर्माण–रू0 7.00लाख +प्रथम वर्ष निवेश–रू01.50लाख) निर्धारित है।

योजनानतर्गत धनराशि माह अक्टूबर, 2020 के अन्तिम सप्ताह में या नवम्बर में प्राप्त होना सम्भावित है, जिस हेतु लाभार्थी चयन की कार्यवाही तत्काल कराया जाना आवश्यक होगा। लाभार्थी चयन में निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक होगा :–

1– लाभार्थी चयन हेतु विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायें।

2– पी0एम0एम0एस0वाई अन्तर्गत जिन जनपदों में लाभार्थी के लिखित सहमति से निजी भूमि पर तालाब निर्माण के प्रस्तावों को आर0के0वी0वाई0में शिफ्ट होने की स्वीकृति डी0एल0सी0 में करा लिया है,उस सीमा तक के क्षेत्रफल के तालाब निर्माण हेतु पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी। शेष के लिए जहां पी0एम0एम0एस0वाई में शिफ्ट नही हुए हैं उन जनपदों में लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही की जाये।

3– लाभार्थी के चयन में प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यवाही की जाय। लक्ष्य के सापेक्ष तथा उपलब्ध बजट सीमा तक ही लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सकेगा। चयन कर तत्काल लाभार्थियो को उनके चयनित होने पर सूचित करना सुनिश्चित करें,तथा कुल चयनित लाभार्थियो में प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार 50प्रतिशत लााभार्थियों से कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। शासन से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रथम चरण में सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को आच्छादित किया जायेगा।

4–योजना के अन्तर्गत लघु, मध्यम व बड़े काश्तकार जिनके पास निजी भूमि उपलब्ध हो तथा भूमि अनउपजाऊ एंव तराई क्षेत्र जहां जलप्लावन के कारण कृषि कार्य वाधित रहता हो,ऐसे क्षेत्रों को वरीयता दी जाय।

5–लाभार्थी से 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर कार्य प्रारम्भ के समय शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

6–विभाग के समस्त योजनाओं के प्रार्थनापत्र विभागीय पोर्टल से प्राप्त कर चयन के संबंध में मत्स्य निदेशालय पत्रांक 3787/ नि0शा0/2020–21 दिनांक 30.06.2020 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए लाभार्थी चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ

पत्रांकः– 4720 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न सार्वजनिक सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलीय उप निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।